

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नम्बर: -0141-2740735 फैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) परीक्षा-2011/अलेरो-11/18185-90

दिनांक:- 03 जनवरी 2014

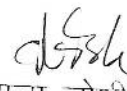
श्री ज्ञानसिंह नैनावत पुत्र श्री रामचन्द्र
म.नं. 57, ज्योति नगर, 200 फुट रोड,
एन.ई.वी. के पीछे जिला अलवर।

विषय:- लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने के सम्बन्ध में नोटिस।

प्रसंग:- निदेशालय का पत्रांक 163 दि० 17.07.2013, पत्रांक 15172 दि० 03.09.13, पत्रांक 17123
दिनांक 07.10.13, 17879 दिनांक 21.11.2013

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2011 में सफल/चयनित होने के उपरान्त विभागीय आदेश क्रमांक 163/2013-14 दि० 17.07.2013 द्वारा आपको लेखाकार पद पर नियुक्ति प्रदान की जाकर उपकोषालय नाथद्वारा जिला राजसमन्द में पदस्थापन के आदेश जारी कर दिनांक 01 अगस्त 2013 तक कार्यग्रहण करने के आदेश जारी किए गए थे। तदोपरान्त आप द्वारा विभाग में कार्यग्रहण अवधि बढ़ाने हेतु प्रेषित पत्र के क्रम में निर्णयानुसार प्रासंगिक पत्रों द्वारा समय-समय पर कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि की जाकर पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु लिखा गया, किन्तु विभागीय आदेशों की अनुपालना में आपके द्वारा लेखाकार पद पर कार्यग्रहण नहीं किया गया।

अतः आपको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 20 जनवरी 2014 तक उपकोषालय नाथद्वारा जिला राजसमन्द में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाता है। उक्त दिवस तक अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने पर आपके लेखाकार पद पर किए गए नियुक्ति आदेश निरस्त समझे जावेंगे।

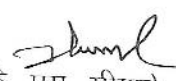

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) परीक्षा-2011/अलेरो-11/18185-90

दिनांक:- 03 जनवरी 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. उपकोषाधिकारी, नाथद्वारा जिला राजसमन्द को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावे।
4. श्री ज्ञानसिंह नैनावत पुत्र श्री रामचन्द्र म.नं. 57, ज्योति नगर, 200 फुट रोड, एन.ई.वी. के पीछे जिला अलवर- 301026 को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 20 जनवरी 2014 तक विभागीय आदेशों की अनुपालना में निर्धारित नियुक्ति/पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ कर कार्यारम्भ रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
7. गोपनीय शाखा।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।


(के. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कामेक-1)